बाहरी राज्यों/अन्य देशो से आकर उत्तराखण्ड में निवास करने वाले व्यक्ति का सत्यापन प्रपत्र		
क्र.स.	विवरण	
1	मकान मालिक/संस्था/विद्यालय के स्वामी, प्रबन्धक का नाम	
a	पता	
b	कार्यालय का पता	
c	व्यवसाय	
d	माबाईल नम्बर/व्हाट्सअप नम्बर	
सत्यापन हेतु किरायेदार, घरेलू नौकर, छात्र, संदिग्ध व्यक्ति का विवरण		
2	व्यक्ति का नाम/उम्र	
a	पिता का नाम	
b	माता का नाम	
c	व्यवसाय	
d	नागरिकता	
e	व्यक्ति का स्थायी पता–	
	i) गांव/मौहल्ला/कस्बा	
	ii) थाना	
	iii) पोस्ट आफिस	
	iv) जनपद	
	v) राज्य	
f	मोबाईल नम्बर/व्हाट्सअप नम्बर	
g	फोटोयुक्त आईडी प्रुफ(आधार कार्ड,डीएल,पासपोर्ट,वोटर कार्ड, पेन कार्ड आदि) का विवरण	
h	यदि व्यक्ति विवाहित हो तो पत्नी का नाम	
i	यदि बच्चे हो तो उनका नाम	
j	स्थानीय स्तर पर किया जा रहा व्यवसाय	
	i) नौकरी (सरकारी/प्राईवेट)	
	ii) बिजनेस	
	iii) शिक्षा ग्रहण,विवरण	
	iv) रेहडी/फड/ठेली/रिक्शा चालक	
	v) नगर निगम से पास प्राप्त किया है अथवा नही	
	आधार कार्ड का सिक्योर क्यूआर कोड ऐप से सत्यापन	
	i) सत्यापन में सही पाया गया	
	ii) यदि संदिग्ध पाया गया तो कार्यवाही	
	iii) आपराधिक इतिहास	

Self Declaration
प्रमाणित किया जाता है कि मैं.....पुत्र/पुत्री निवासी/मौहल्ला/ग्रामथाना जनपद.....राज्य..... का मूल का निवासी हूं तथा मेरे द्वारा उपरोक्त प्रपत्र में सभी तथ्य सही एवं सत्य अंकित किये गये है मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में कोई आपराधिक अभियोग दर्ज नही है, यदि मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो नियमतः मैं स्वंय इसका उत्तरदायी रहूंगा। शपथकर्ता का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी

पुलिस के उपयोगार्थ

1. प्राप्त उक्त प्रपत्र का सत्यापन
2. Cri-MAC, NATGrid, ICJS से सम्बन्धित पोर्टल पर सम्बन्धित राज्य के पुलिस से सत्यापन कराना।
3. उक्त व्यक्ति के रहन–सहन , आय–व्यय, व्यवसाय, अन्य लोगो से संलिप्तता आदि तथ्यों की गहन जांच की जाये पूर्व में हत्या, लूट, सामूहिक हिंसा, राष्ट्र विरोधी कृत्य, महिला अपराध, साइबर अपराध, भूमि सम्बन्धी
4. अपराध आदि का होने के सम्बन्ध में तत्काल सत्यापन सुनिश्चित करें।
5. बुजुर्ग एवं एकल परिवार से समय–समय पर वार्ता कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।
6. साइबर ठगी से बचने के उपाय बताये जायें।

सत्यापन/प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम/पद
मोबाईल नम्बरः–
दिनांकः–
स्थानः–
थानाः–
जनपदः–

'सत्यापन हेतु अग्रेषित अधिकारीः–

1. क्षेत्राधिकारी–
2. अपर पुलिस अधीक्षक–
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक–